24/9/24 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान अनुपस्थित। वादी का वाद अन्तर्गत आदेश आर्डर 9 नियम 3 जा.दी में खारिज किया जा चुका है। इसलिए अब T.I प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य शेष नहीं रह जाता है। इसलिए वादी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आर्डर 9 R 5 जा.दी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपजिलाधिकारी
ऑनर लेक